

# जलांश

केंद्रीय जल आयोग का मासिक सूचना पत्र

एस.के. हालदार  
अध्यक्ष

## सन्देश

यह कहना कि कोविड महामारी ने दुनिया को बदल दिया है, एक न्यूनोक्ति होगी। वायरस के उभरने के एक साल में इसने विभिन्न मुद्दों की एक लहर पैदा कर दी है। इसमें अवसाद, सामाजिक अलगाव, सामान्य तनाव और आम जनता के लिए वित्तीय तनाव शामिल थे। बहुत सारा काम का समय नष्ट हो गया और प्रगति और विकास की गति धीमी हो गई। यह गर्व की बात है कि हमारे माननीय प्रधान मंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार ने इसके प्रसार को रोकने के लिए में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया।

यह भी गर्व की बात है कि माननीय केंद्रीय मंत्री, जल संसाधन, न.वि. और ग.सं., माननीय राज्य मंत्री, सचिव (ज.सं., न.वि. और ग.सं. विभाग) और मंत्रालय और के.ज.आ. के अन्य वरिष्ठ

अधिकारियों ने मुश्किल समय को एक अवसर में बदल दिया। लॉकडाउन के दौरान और उसके बाद भी वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर विभिन्न बैठकें हुईं और महत्वपूर्ण निर्णय लेने और सूचनाओं के प्रसार के लिए वेबिनार की श्रृंखला की व्यवस्था की गई।

मैं के.ज.आ. के अधिकारियों का आभारी हूं जिन्होंने इन सभी अभ्यासों में उत्साह के साथ सक्रिय भाग लिया और अपार योगदान दिया। मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि ऐसे कठिन समय के दौरान के.ज.आ. का कार्य दिल्ली में अपने मुख्यालय और फ़िल्ड कार्यालयों में भी बेरोकटोक जारी रहा। हमारी बाढ़ पूर्वानुमान गतिविधियाँ और एचओ गतिविधियाँ 2020-2021 के दौरान हमेशा की तरह जारी रहीं जब महामारी अपने चरम पर थी।

अब मुझे विश्वास है कि भारत महामारी के चरम को पार कर चुका है और के.ज.आ. में हमारा कामकाज सामान्य हो गया है, निश्चित रूप से, हम सभी कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए भारत सरकार के सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन कर रहे हैं।

के.ज.आ. के लिए यह एक महत्वपूर्ण क्षण था, जब श्री रतन लाल कटारिया, माननीय राज्य मंत्री

(जल शक्ति) ने 19.01.2021 को के.ज.आ., मुख्यालय का दौरा किया और उन्हें पिछले डेढ़ साल के दौरान के.ज.आ. द्वारा किए गए कार्यों से अवगत कराया गया, जिसे उन्होंने खूब सराहा।

इस कठिन और खतरनाक समय के दौरान के.ज.आ. अधिकारियों द्वारा किए गए कार्यों की सूची अंतहीन है। मैं ऐसे कठिन समय में भी अधिकारियों को उनके अथक कार्य के लिए धन्यवाद देता हूं। सभी के संयुक्त प्रयासों से हम अधिकांश उद्देश्यों को पूरा करने में सफल रहे। मैं अपने माननीय मंत्री शेखावत जी और तत्कालीन सचिव श्री यू.पी. सिंह जी को पूरे मंत्रालय विशेषकर के.ज.आ. को निरंतर समर्थन प्रदान करने के लिए धन्यवाद करता हूं। 'जलांश' के इस खंड में हाल के दिनों में के.ज.आ. द्वारा किए गए कुछ कार्यों और गतिविधियों की झलक दी गई है।

मैं आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। सरकारी एजेंसियों द्वारा समय-समय पर जारी किए गए कोरोना वायरस के रोकथाम से संबंधित दिशानिर्देशों का पालन करते रहें और खुद को सुरक्षित रखें।

*प्रौद्योगिकी विभाग*

## पोलावरम सिंचाई परियोजना (आंध्र प्रदेश) का प्रचलित निर्माण कार्य



### विषय वस्तु

- महाराष्ट्र की सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित समीक्षा बैठक
- माननीय राज्यमंत्री (जल शक्ति) का केंद्रीय जल आयोग -मुख्यालय का दौरा
- एनडब्ल्यूआईसी के साथ डब्ल्यूआईएमएस पर बैठक
- राष्ट्रीय इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत परियोजना पर विचार करने हेतु समीक्षा बैठक
- ब्रिक्स जल मंत्रियों की बैठक की योजना हेतु समिति की तीसरी बैठक
- यमुना स्थाई समिति की 91वीं बैठक
- पार्वती-कूनो-सिंध लिंक और पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना
- शाहपुरकंडी बांध परियोजना (राष्ट्रीय परियोजना) के कार्यान्वयन की समीक्षा हेतु निगरानी समिति की पांचवीं बैठक
- उत्तरी कोयल परियोजना के बाकी कार्यों को पूर्ण करने हेतु समीक्षा बैठक
- भारत-यूरोप संघ जल साइमेंटरी हेतु तकनीकी वर्चुअल बैठक
- राइट बैंक स्लोप के क्रीपिंग के कारण लार्ज स्लाइडिंग फोर्स के प्रतिरोध हेतु सॉन्गाटोंग करचम के बैराज का कॉन्सेट डिजाइन
- भद्रभूत बैराज परियोजना के डिजाइन और ड्राइंग के परामर्श कार्य के लिए वाक्यों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
- एनएचपी के तहत एचओ साइटों के लिए आरटीडीएस स्थापित करने के लिए अरुणाचल प्रदेश सरकार के साथ समझौता ज्ञापन
- जलाशय निगरानी
- देवसारी एचईपी, उत्तराखण्ड के लिए कंक्रीट गेविटी बांध के विकल्प के रूप में बैराज की व्यवहार्यता
- पालेमुगा और पहनटोली सिंचाई परियोजना, झारखण्ड की डीपीआर
- ड्रिप
- भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कृषि कार्य समूह-सुवर्णरेखा सिंचाई परियोजना का दौरा
- प्रशिक्षण
- बांध सुरक्षा एवं इंस्ट्रमेंटेशन
- योजनाओं/घटकों की तीसीय प्रगति
- इनिहास-परम्प्रिकुलम-अलियार परियोजना
- खंडोंग पावर स्टेशन, नीपको, असम का नवीनीकरण और आधुनिकीकरण और जीवन विस्तार

## महाराष्ट्र की सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित समीक्षा बैठक

श्री नितिन गडकरी माननीय मंत्री (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग व लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम) और श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, माननीय जल शक्ति मंत्री ने दिनांक 27.01.2021 को महाराष्ट्र की विशेष पैकेज सिंचाई परियोजनाओं एवं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की स्थिति के आकलन हेतु बैठक की। इसमें श्री

में भारत सरकार ने आत्महत्या-प्रवण विदर्भ, मराठवाडा एवं राज्य के शेष महाराष्ट्र क्षेत्र में 83 सतही लघु सिंचाई परियोजनाओं एवं 8 वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु 3831.41 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु एक विशेष पैकेज अनुमोदित किया। इन सतही लघु सिंचाई परियोजनाओं का चरणबद्ध रूप से 2022-23 तक पूरी होने की संभावना है। पीएमकेएसवाई एआईबीपी के तहत दिसंबर 2020 तक नौ परियोजनाएं पूर्ण हो जाने योगेश पैठणकर मुख्य अभियंता(पीएमओ), केंद्रीय जल आयोग ने की सूचना दी जा चुकी है। इसी प्रकार महाराष्ट्र के विशेष पैकेज के भाग लिया। 2015 में प्रारंभ पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत 19 एसएमआई योजनाओं का पिछले वर्ष तक पूर्ण हो जाने की महाराष्ट्र की 26 परियोजनाएं शामिल की गई थी। आगे, जुलाई 2018 सूचना है।

## माननीय राज्यमंत्री (जल शक्ति) का केंद्रीय जल आयोग -मुख्यालय का दौरा

श्री रतनलाल कटारिया, माननीय राज्यमंत्री (जल शक्ति) ने केंद्रीय जल आयोग, मुख्यालय का 19.01.2021 को दौरा किया। केंद्रीय जल आयोग द्वारा मई 2019 से दिसंबर 2020 के मध्य की गई प्रगति पर आधारित एक प्रेजेंटेशन दिया गया। माननीय राज्य मंत्री महोदय को सूचित किया गया कि गत डेढ़ वर्षों के दौरान पीएमकेएसवाई के तहत 99 प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाओं में से 10 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। उन्हें यह भी सूचित किया गया कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने ड्रिप || और ||| योजना को 10,211 करोड़ रु. की अनुमानित लागत के साथ 7 राज्यों में स्थित 223 बांधों का पुनर्वास किया गया। माननीय राज्य मंत्री महोदय ने इस कार्यक्रम के संचालन में केंद्रीय जल आयोग की भूमिका की प्रशंसा की।

माननीय राज्य मंत्री महोदय को सूचित किया गया कि नदी बेसिन संगठनों के गठन के बाद जल प्रबंधन बेहतर हो सकेगा। उन्होंने देश में बढ़ते जल विवादों के संबंध में संशय व्यक्त किया। केंद्रीय जल आयोग के अधिकारियों ने सूचित किया कि आईएसआरडब्ल्यूडी संशोधन विधेयक के पास हो जाने से जल विवादों का अधिक शीघ्रता एवं सौहार्द के साथ हल हो सकेगा। केंद्रीय जल आयोग के अधिकारियों ने यह भी सूचित किया कि आईएसआरडब्ल्यूडी एवं बांध सुरक्षा विधेयक का पास होना देश में जल संसाधनों के समग्र प्रबंधन हेतु अपरिहार्य है।

माननीय राज्य मंत्री महोदय को सूचित किया गया कि गत एक वर्ष में 79 नए बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशनों का संचालन प्रारंभ किया गया। 19

## एनडब्ल्यूआईसी के साथ डब्ल्यूआईएमएस पर बैठक

श्री एस. के. हालदार, अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में 27.01.2021 को जल सूचना प्रबंधन तंत्र(डब्ल्यूआईएमएस) के मुद्दे पर बैठक का आयोजन किया गया। श्री आर. के. सिन्हा, सदस्य(नदी प्रबंध), केंद्रीय जल आयोग भी बैठक के दौरान उपस्थित थे। केंद्रीय जल आयोग, एनडब्ल्यूआईसी, राष्ट्रीय जलविज्ञान परियोजना हेतु राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन यूनिट के पदाधिकारियों, डब्ल्यूआईएमएस के डेवलपर ने भी उक्त बैठक में भाग लिया। बैठक के दौरान निम्नलिखित एजेंडा पॉइंट पर चर्चा की गई:

i. आगामी मानसून मौसम 2021 के दृष्टिगत डब्ल्यूआईएमएस



नदी बेसिनों पर स्थापित 328 पूर्वानुमान स्टेशनों से वर्ष 2020 में 11,721 पूर्वानुमान जारी किए गए। मई 2020 से एक नवीन अद्यतित बाढ़ पूर्वानुमान वेबसाइट एवं बाढ़ आंकड़ा एंट्री यूटिलिटी भी प्रारंभ किया गया।

बाढ़ पूर्वानुमान एवं प्रबंधन पर चर्चा के दौरान ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बाढ़ के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। केंद्रीय जल आयोग के अधिकारियों ने माननीय राज्य मंत्री महोदय को ऊपरी सियांग/ ब्रह्मपुत्र पर एक परियोजना स्थापित करने की आवश्यकता से अवगत कराया जो असम राज्य के लिए अत्यंत लाभदायक होगा। चीन द्वारा मेडोंग, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र पर एक सुपर हाइड्रो पावर स्टेशन स्थापित करने की कथित योजना के संबंध में पदाधिकारियों ने बताया कि ब्रह्मपुत्र नदी के जल को अंतरित करने का कोई भी प्रयास निचले रैपेरियन देश जैसे भारत-बांगलादेश जैसे देशों के विधिक अधिकारों का अतिक्रमण होगा और कमजोर मौसम के दौरान ब्रह्मपुत्र बेसिन में जल की उपलब्धता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। हालांकि कुछ आधिकारिक प्लेटफार्म जैसे- विशेषज्ञ स्तर तंत्र की स्थापना 2006 में भारत एवं चीन के मध्य अंतर सीमा नदियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए की गई है।

सॉफ्टवेयर की समुचित फंक्शनिंग

ii. केंद्रीय जल आयोग और एनडब्ल्यूआईसी के मध्य डब्ल्यूआईएमएस सॉफ्टवेयर से संबंधित किसी भी मुद्दे पर समन्वय

इस मुद्दे पर विस्तृत विचार करने के उपरांत अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग ने निर्देश दिया कि डब्ल्यूआईएमएस के विभिन्न मुद्दों और बाढ़ संबंधित मॉड्यूल एवं फ्लड वेबसाइट से संबंधित विभिन्न मुद्दों को एनडब्ल्यूआईसी द्वारा केंद्रीय जल आयोग के संबंधित अधिकारियों से व्यक्तिशः चर्चा करके सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर शीघ्रताशीघ्र मार्च से पूर्व हल किए जाने की आवश्यकता है।

## राष्ट्रीय इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत परियोजना पर विचार करने हेतु समीक्षा बैठक

भारत सरकार ने राष्ट्रीय इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन(एनआईपी) को वित्तीय वर्ष 2025 तक की अवधि के लिए रेखांकित करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया था। अप्रैल 2020 में प्रस्तुत किए गए टास्क फोर्स के अंतिम रिपोर्ट के अनुसार एनआईपी वित्तीय वर्ष 2020-25 अवधि के लिए केंद्र, राज्यों एवं निजी क्षेत्रों से 111 लाख करोड़ रुपए के निवेश की परिकल्पना करता है। परियोजनाओं की संख्या एवं निवेश आवश्यकताएं लगातार बढ़ रही हैं और आवश्यकताओं को एक वेब आधारित एप्लीकेशन के माध्यम से ट्रैक किया जा रहा है। "जल एवं स्वच्छता" एनआईपी के तहत एक चिन्हित क्षेत्रों में से एक है जो विभिन्न उप-क्षेत्रों जैसे सिंचाई, जल शोधन प्लांट, स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज इत्यादि को कवर करता है। केंद्रीय जल आयोग पर राज्य जल संसाधन परियोजनाओं के विवरणों के एकत्रण की जिम्मेदारी है। इस संबंध में गतिविधियों की निगरानी केंद्रीय जल आयोग के जल आयोजना एवं परियोजना(डब्ल्यूपीएंडपी) विंग द्वारा की जा रही है।

## ब्रिक्स जल मंत्रियों की बैठक की योजना हेतु समिति की तीसरी बैठक

ब्रिक्स जल मंत्रियों की बैठक एवं ब्रिक्स वॉटर फोरम की योजना हेतु समिति की तीसरी बैठक श्री कुशविंदर वोहरा, सदस्य(डब्ल्यूपीएंडपी), केंद्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में 28.01.2021 को संपन्न हुई जिसमें एनडब्ल्यूडीए, सीजीडब्ल्यूबी एवं पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भाग लिया गया।

ब्रिक्स जल मंत्रियों की बैठक एवं ब्रिक्स जल फोरम का आयोजन 16 से 20 नवंबर 2021 के दौरान "समानता के साथ सतत विकास हेतु जल सुरक्षा" विषय के साथ इंडिया एक्सपो सेंटर ग्रेटर नोएडा में इंडिया वॉटर वीक 2021 के साथ आयोजित किए जाने की योजना है। बैठक के दौरान विस्तृत चर्चा की गई और ब्रिक्स जल फोरम, इवेंट प्रोग्राम, प्रतिभागियों की संख्या, आमंत्रितों की संख्या, कार्यक्रम के दौरान फ़िल्ड विजिट हेतु आवश्यक कार्यवाही को अंतिम रूप दिया गया। ब्रिक्स जल मंत्रियों की बैठक के मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम का मसौदा तैयार करने का भी निर्णय लिया गया जिसमें भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय या माननीय विदेश मंत्री महोदय द्वारा उद्घाटन भाषण हेतु समय स्लॉट शामिल है।

इसके अतिरिक्त जल शक्ति मंत्रालय तकनीकी सत्रों को आयोजित करने व इसके साथ आईडब्ल्यूडब्ल्यू- 2021 प्रतिनिधिमंडल को इन सत्रों में प्रतिभाग करने हेतु अनुमति देने संबंधी विषय पर अंतिम निर्णय लेगा। सभी उप विषय हेतु संक्षिप्त कॉन्सेप्ट नोट (एक से डेढ़ पेज) का मसौदा तैयार करने हेतु नोडल अधिकारियों को सारणी के अनुसार चयनित किया गया है।

नोडल अधिकारी प्राप्त इनपुट पर आधारित विभिन्न विषयों पर

## यमुना स्थाई समिति की 91वीं बैठक

सदस्य (नदी प्रबंध), केंद्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में यमुना स्थाई समिति पर हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली राज्यों के बाढ़ नियंत्रण कार्यों/किसी अन्य संरचना के प्रतिकूल प्रभाव के विरुद्ध उनके हितों की रक्षा करने एवं यमुना नदी में पर्याप्त जलमार्ग की उपलब्धता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है।

जल क्षेत्र में राष्ट्रीय इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइप लाइन(एनआईपी)-(पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत राज्य परियोजनाये) के तहत परियोजनाओं की सूची को अंतिम रूप देने एवं इससे संबंधित अन्य मुद्दों हेतु बैठक 07.01.2021 को सदस्य(डब्ल्यूपीएंडपी) की अध्यक्षता में संपन्न हुई। यह निर्णय लिया गया कि मुख्य अभियंता(पीएमओ), केंद्रीय जल आयोग डुप्लीकेट परियोजनाओं की सूची को आर्थिक सलाहकार को अवगत कराएंगे जो इन्हें सूची से हटाने के लिए लिए डीईए को अवगत कराएंगे। इसके अतिरिक्त आर्थिक सलाहकार तमिलनाडु एवं केरल की परियोजनाओं से संबंधित मुद्दों को भी डीईए के समक्ष लाएँगे। केंद्रीय जल आयोग मुख्यालय, राज्य परियोजनाओं के संबंध में प्राप्त आंकड़ों को तत्काल प्रभाव से जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग को अग्रेषित करेगा। आर्थिक सलाहकार राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना को तत्काल संपादित/अद्यतित करवाएँगे। मुख्य अभियंता(पीएमओ) केंद्रीय जल आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ शेष परियोजनाओं हेतु सूचना को प्राप्त करने एवं आर्थिक सलाहकार को उसे भेजने हेतु संपर्क में रहेंगे।



उप विषय	नोडल अधिकारी
जलवायु परिवर्तन प्रभावों का उपशमन-जल क्षेत्र में चुनौतियां एवं अवसर	श्री सुनील कुमार, निदेशक, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली
जल प्रबंधन में तकनीकी नवाचार	डॉक्टर एम सेंथिल कुमार, वरिष्ठ हाइड्रोजियोलोजिस्ट, केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण
जल खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा का समाधान	श्री योगेश पैठणकर, मुख्य अभियंता, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली

कॉन्सेप्ट नोट को अंतिम रूप देंगे। चर्चा के अनुसार यह निर्णय लिया गया था कि कार्यक्रम एवं अध्ययन टूर के लिए ड्राफ्ट प्रोग्राम पत्रों का मसौदा इत्यादि तैयार कर जल शक्ति मंत्रालय को एमईए के समक्ष ले जाने हेतु यह साझा किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त निर्णय के अनुसार कांसेप्ट पेपर को अंतिम रूप देने के संबंध में एनडब्ल्यूडीए में ब्रिक्स मंत्रियों के बैठक का सचिवालय और वॉटर फोरम आवश्यक कार्रवाई करेगा।

यमुना स्थाई समिति की 91वीं बैठक 27.01.2021 को वीडियो कानेकॉनेक्शन के माध्यम से सदस्य (नदी प्रबंध), केंद्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में रेलवे द्वारा तिलक ब्रिज-आनंद विहार स्टेशन के मध्य तीसरी-चौथी लाइन द्वारा उत्तरी दिल्ली जिले में यमुना नदी की क्रॉसिंग को एनओसी प्रदान की गई।

## पार्वती-कूनो-सिंध लिंक और पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना

श्री श्रीराम वदीरे, अध्यक्ष, टास्क फोर्स फॉर इंटर-लिंकिंग ऑफ रिवर एवं सलाहकार, जल शक्ति मंत्रालय, की अध्यक्षता में 27.01.2021 को नई दिल्ली में पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक एवं पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, राजस्थान के एकीकरण के संबंध में एक बैठक आयोजित की गई। विस्तृत चर्चा के उपरांत अंतर्राज्यीय मुद्दों के संबंध में राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के मध्य मुद्दे के हल के रूप में निम्नलिखित निर्णय लिए गए।

I. वाप्कोस परियोजना की सफलता दर एवं निम्न आधार्य पर राजस्थान में जल के उपयोग के कारण मध्य प्रदेश पर प्रभाव को प्रदर्शित करने हेतु पिछले 40 वर्षों के डाटा पर आधारित सिमुलेशन स्टडी को तैयार एवं प्रस्तुत करेगा।

II. वाप्कोस लिमिटेड उन संघटकों की जानकारी उपलब्ध कराएगा जो इआरसीपी चरण-1 के तहत लगभग 2000 एमसीएम जल के उपयोग के लिए आवश्यक हैं।

III. केंद्रीय जल आयोग डीपीआर में आकलन के अनुसार जल उपलब्धता एवं अन्य बिंदुओं और उपरोक्त अध्ययनों के निष्कर्ष की पुनःजांच एवं पुष्टि करेगा।

IV. एनब्ल्यूडीए अपनी योजना में कालीसिंध में अधिशेष जल के आदान प्रदान की मात्रा को इसके उपयोग हेतु निर्धारित करेगा।

यह बैठक 28.11.2017 को राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत इआरसीपी के तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के संदर्भ में आयोजित की गई थी। यह कालीसिंध, पार्वती, मेज एवं चकन उप बेसिनों में उपलब्ध अतिरिक्त मानसून जल के उपयोग द्वारा और उसे बनास, गंभीरी, बाणगंगा और पारबती के जल न्यून उप-बेसिनों में अंतरित करके चंबल बेसिन में पानी के अंतर-बेसिन हस्तांतरण की परिकल्पना करता है। परियोजना का उद्देश्य पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों एवं रास्ते में आने वाले कस्बों गांवों एवं टैंकों के साथ-साथ आसपास के कमान क्षेत्र में पेयजल, सिंचाई एवं उद्योगों हेतु जल उपलब्ध कराना है। परियोजना संघटकों में 6 बैराज नामतः हनोतिया,

### शाहपुरकंडी बांध परियोजना (राष्ट्रीय परियोजना) की पांचवीं बैठक

शाहपुरकंडी बांध परियोजना रावी नदी पर रणजीत सागर बांध के 11 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम पर और माधवपुर हेडवर्क्स के 6 किलोमीटर अपस्ट्रीम पर निर्मित की जा रही है ताकि माधवपुर हेडवर्क्स से निकलने वाली नहर एवं रावी नहर (जे.एंडके.) से सिंचाई व रणजीत सागर बांध पावर हाउस पर विद्युत उत्पादन दोनों हेतु संतुलित जलाशय का समुचित उपयोग हो सके। इस परियोजना को भारत सरकार द्वारा फरवरी 2008 में राष्ट्रीय परियोजना के रूप में घोषित किया गया था। इस परियोजना के पूर्ण होने पर पंजाब राज्य का 5000 हेक्टेयर क्षेत्र एवं जम्मू और कश्मीर राज्य का 32173 हेक्टेयर क्षेत्र लाभान्वित होगा। इसके अतिरिक्त ऊपरी बड़ी दोआब नहर तंत्र के तहत 1.18 लाख हेक्टेयर क्षेत्र भी लाभान्वित होगा। सदस्य (जल आयोजना एवं परियोजना), केंद्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में निगरानी समिति द्वारा इस परियोजना की नियमित रूप से निगरानी की जा रही है।

परियोजना की समीक्षा के लिए निगरानी समिति की पांचवीं बैठक 29.01.2021 को सदस्य (जल आयोजना एवं परियोजना) की

रामगढ़, महलपुर, नवनेरा, मेज, राठौड़ बैराज एवं एक दूंगरी बांध के साथ लगभग 1268 किलोमीटर लंबे जल संवाहक प्रणाली जिसमें गुरुत्व नहर, गुरुत्व टनल, पंपिंग/डिलीवरी मेन शामिल है जिससे परियोजना क्षेत्र के सभी प्रस्तावित एवं वर्तमान संरचनाएं जुड़ती हैं, आते हैं। टैंक एवं जलाशयों के रास्ते के 0.8 लाख हेक्टेयर के स्थितिकरण के अतिरिक्त सीसीए लगभग 2 लाख हेक्टेयर (नवीन कमान क्षेत्र) है।

परियोजना 50% डिपेंडेबल यील्ड पर योजित है। सुझाव दिया गया है कि या तो परियोजना की योजना 75% निर्भरता पर संशोधित की जा सकती है या फिर यदि राजस्थान अब भी 50 %डिपेंडेबल यील्ड की योजना चाहता है तो उसे इस संबंध में मध्य प्रदेश सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए और उसे केंद्रीय जल आयोग को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

यद्यपि मध्य प्रदेश सरकार से राजस्थान को 50% डिपेंडेबल यील्ड की योजना बनाने की अनुमति देने संबंधित एनओसी के संबंध में कोई प्रगति नहीं हुई है और संशोधित इआरसीपी- पीकेसी परियोजना की पड़ताल की जा रही है, राजस्थान सरकार से केंद्रीय जल आयोग को प्रस्तुत किए गए इआरसीपी के डीपीआर को वापस लेने हेतु अनुरोध किया गया है क्यूंकि आगे मूल्यांकन कोई भी उपयोगी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगा। हालांकि 16.07.2020 को आईएलआर हेतु टास्क फोर्स की 12वीं बैठक पर फॉलो अप एक्शन के अनुसार एनडब्ल्यूडीए द्वारा पार्वती-कूनो सिंध लिंक के ड्राफ्ट पीएफआर को 17.07.2020 दिनांकित ईमेल से के.ज.आ./मध्यप्रदेश/राजस्थान को प्रस्तुत किया गया है और उक्त के.ज.आ./ मध्य प्रदेश/ राजस्थान में जांच के अधीन है। पार्वती-कूनो सिंध लिंक और पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के संदर्भ में मध्यप्रदेश और राजस्थान के मध्य जल साझेदारी हेतु सलाह देने के लिए एक वर्किंग ग्रुप, सदस्य (जल आयोजना एवं परियोजना), केंद्रीय जल आयोग के अधीन गठित किया गया। इस ग्रुप की दो बैठकें 04.09.2020 और 25.09.2020 को आयोजित की गई किंतु राज्यों के मध्य प्रस्ताव पर सहमति होना बाकी है।

### के कार्यान्वयन की समीक्षा हेतु निगरानी समिति



अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शाहपुरकंडी बांध परियोजना के संघटकों के डिजाइन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हेतु आयोजित की गई। पंजाब सरकार, जम्मू और कश्मीर संघ शासित क्षेत्र, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण और केंद्रीय जल आयोग के अधिकारियों ने इस बैठक में भाग लिया। बैठक के दौरान परियोजना में तेजी लाने के लिए कुछ एक्शन पॉइंट्स प्रस्तुत किए गए और पंजाब सरकार के अधिकारियों से इन मुद्दों पर अध्ययन हेतु अनुरोध किया गया।

## उत्तरी कोयल परियोजना के बाकी कार्यों को पूर्ण करने हेतु समीक्षा बैठक

उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना झारखण्ड राज्य के पलामू/गढ़वाल जिले में अत्यधिक पिछड़े जनजातीय क्षेत्र में स्थित है। यह परियोजना मूलतः वर्ष 1980 में जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा वन स्वीकृति (फॉरेस्ट क्लीयरेंस) की शर्त के साथ 113.17 करोड़ रुपए के रूप में स्वीकार की गई थी। इसके पश्चात परियोजना में 11.89 किलोमीटर लंबे लेपट बैंक नहर को जोड़ दिया गया था। निर्माण कार्य 1972 में प्रारंभ कर दिया गया था। यह कार्य 1993 तक लगातार जारी रहा एवं उसी वर्ष वन विभाग बिहार सरकार द्वारा रोक दिया गया। तब से बांध पर कार्य यथावत रुका हुआ था। इसके बाद विभिन्न चर्चाओं के उपरांत यह निर्णय लिया गया था कि जलाशय की फुल रिजरवायर स्तर (एफआरएल) को पलामू टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र को सुरक्षित रखने हेतु 367.28 मीटर के बजाय 341 मीटर एलिवेशन पर ही सीमित किया जाए।

उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना को 1622.27 करोड़ रुपए के अनुमानित लागत व 1378.61 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता के साथ पूर्ण करने संबंधित मंत्रिमंडल का अनुमोदन वर्ष 2017 में प्राप्त हुआ था। इस परियोजना की सदस्य (जल आयोजना एवं परियोजना), केंद्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में तकनीकी मूल्यांकन



समिति द्वारा सक्रिय रूप से निगरानी की जा रही है। उपरोक्त के अतिरिक्त सदस्य (जल आयोजना एवं परियोजना) द्वारा 15.01.2021 को उत्तरी कोयल परियोजना की स्थिति पर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग के एफएम विंग के अधिकारियों, केंद्रीय जल आयोग एवं वाप्कोस के अधिकारियों द्वारा बैठक में भाग लिया गया। वाप्कोस लिमिटेड द्वारा परियोजना के बाकी कार्यों के विभिन्न संघटकों की प्रगति की स्थिति को दर्शाते हुए विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया गया।

## भारत-यूरोपीय संघ जल साझेदारी हेतु तकनीकी वर्चुअल बैठक

श्री यू. पी. सिंह, सचिव, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग की अध्यक्षता में 20.01.2021 को भारत-यूरोपीय संघ जल साझेदारी के चरण 1 के 9 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के तहत आने वाली विभिन्न गतिविधियों के संबंध में हुई प्रगति पर एवं 01.11.2020 को प्रारंभ हुई आईईडब्ल्यूपी के चरण-II के कार्यान्वयन के संबंध में एक ऑनलाइन बैठक का आयोजन किया गया। श्री एस. के. हालदार, अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग, श्री कुशविन्द्र वोहरा, सदस्य, (जल आयोजना एवं परियोजना), केंद्रीय जल आयोग, श्री अमरेंद्र कुमार सिंह मुख्य अभियंता (ईएमओ) केंद्रीय जल आयोग एवं डॉ नरेश कुमार, मुख्य अभियंता (बीपीएमओ), केंद्रीय जल आयोग ने इस बैठक में भाग लिया।

बैठक में आईईडब्ल्यूपी चरण-I के दौरान स्थिति एवं उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया, जिसमें- तापी नदी बेसिन प्रबंधन योजना, भारत में ई-फ्लो आकलन हेतु गाइडेंस दस्तावेज, जलाशय मैपिंग के लिए आइसोटोप विवेचना संबंधी हैंडबुक, रिमोट सेंसिंग डाटा के माध्यम से भारत में लघु एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं में आकलित सिंचाई प्रदर्शन हेतु प्रोटोकॉल एवं आईईडब्ल्यूपी के चरण-I के दौरान

## उझ एमपीपी के लिए ईएसी की सिफारिशें

जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के कठुआ जिले में स्थित उझ बहुउद्देशीय परियोजना की परिकल्पना उझ नदी के पानी का उपयोग करने के लिए की गई है, जो रावी नदी की एक सहायक नदी है, जो सिंधु बेसिन प्रणाली की तीन पूर्वी नदियों में से एक है। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि के प्रावधानों के अनुसार, भारत को पूर्वी नदियों जैसे सतलुज, रावी और ब्यास के सभी जल के अप्रतिबंधित उपयोग का अधिकार है। अतः उझ बहुउद्देशीय परियोजना रावी जल के इष्टतम उपयोग के लिए महत्वपूर्ण है और तदनुसार इसे वर्ष 2008 में एक राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था।

इस परियोजना में 116 मीटर ऊँचे कंक्रीट फेस रॉक-फिल बांध, नहर



उपचारित जल के सुरक्षित पुनरुपयोग पर राष्ट्रीय नीति का मसौदा शामिल है।

विभिन्न विभागों जैसे केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय भूमि जल बोर्ड एवं एनएमसीजी से सभी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के नोडल अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की गई ताकि विभिन्न वैषयिक स्तंभों(योजनाओं) के तहत आईईडब्ल्यूपी के द्वितीय चरण (01-नवंबर-2020 से 30-सितंबर-2023) में जारी रहने हेतु आवश्यक गतिविधियों को चिह्नित किया जा सके।

प्रणाली, 186 मेगावाट क्षमता का मुख्य बिजली घर और 10 मेगावाट क्षमता का डैम टो पावर हाउस निर्माण की परिकल्पना की गई है। परियोजना की अनुमानित लागत रु. 9167 करोड़ (दिसंबर, 2019 मूल्य स्तर पर) है। इस परियोजना का सीसीए 40716 हेक्टेयर है और वार्षिक सिंचित क्षेत्र 76929 हेक्टेयर है। उझ एमपीपी की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) शुरू में केंद्रीय जल आयोग, जम्मू द्वारा तैयार की गई थी।

दिनांक 30.12.2020 को अपनी बैठक में, नदी घाटी और जलविद्युत परियोजनाओं के लिए पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) ने कुछ शर्तों के अधीन परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी देने की सिफारिश की है।

## दाहिने किनारे की ढलान के दरकने के कारण लार्ज स्लाइडिंग फोर्स के प्रतिरोध हेतु सॉन्गटोंग करचम के बैराज की अवधारणा डिजाइन

श्री नरेंद्र सिंह शेखावत, निदेशक, केंद्रीय जल आयोग द्वारा 25.01.2021 को केंद्रीय जल आयोग के अभिकल्प एवं अनुसंधान विंग के अधिकारियों को केंद्रीय जल आयोग से वार्ता अनुरूप तैयार "सॉन्गटोंग करचम जल विद्युत परियोजना (450 मेगावाट), एचपी के बैराज का अवधारणा डिजाइन" से संबंधित एक प्रस्तुतीकरण दिया।

एसकेएचईपी एक रन ऑफ द रिवर प्रकार की जल विद्युत परियोजना है जो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में सतलुज नदी पर स्थित है। बैराज क्षेत्र में दाहिने किनारे का ढलान गति के भिन्न परिमाण के साथ दरकता हुआ पाया गया है। केएफडब्ल्यू (एक जर्मन बैंक) को दाहिने किनारे की ढलान स्थिरता के बारे में आशंका है जिसके कारण केएफडब्ल्यू द्वारा परियोजना के वित्तपोषण को रोक दिया गया है। आर्थिक मामले विभाग, वित्त मंत्रालय ने इच्छा व्यक्त की है कि एचपीपीसीएल, केंद्रीय जल आयोग द्वारा अवधारणा डिजाइन का पुनरीक्षण प्राप्त करे और इसके पश्चात एचपीपीसीएल ने केंद्रीय जल

## भद्रभूत बैराज परियोजना के डिजाइन और ड्राइंग के परामर्श कार्य के लिए वाप्कोस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

नर्मदा नदी पर प्रस्तावित भद्रभूत बैराज परियोजना, जो नदी के मुहाने से 25 किमी ऊपर जहां यह गुजरात में खंभात की खाड़ी में मिलती है, के डिजाइन परामर्श कार्यों के लिए 15.01.2021 को केंद्रीय जल आयोग और वाप्कोस लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षरित हुआ।

भद्रभूत बैराज परियोजना एक निर्माण चरण की परियोजना है, जिसे 90 गेटों के साथ 1.7 किमी का कॉर्जवे-कम-विघ्यर बैराज बनाने की योजना है। यह परियोजना नर्मदा के ऊपरी इलाकों में लवणता के प्रवेश और भूजल की गुणवत्ता में गिरावट को नियंत्रित करेगी क्योंकि मीठे पानी के कम प्रवाह के कारण, उच्च ज्वार के दौरान खारा समुद्री जल नर्मदा मुहाना में चला जाता है, इस प्रकार बैंकों के साथ लवणता बढ़ जाती है। साथ ही, भरूच में घरेलू और औद्योगिक जरूरतों को पूरा करने के लिए लगभग 600 एमसीएम के ताजे नदी के पानी के भंडारण की योजना बनाई गई है। इस परियोजना का उद्देश्य उन वर्षों

## एनएचपी के तहत एचओ साइटों के लिए आरटीडीएस स्थापित करने के लिए अरुणाचल प्रदेश सरकार के साथ समझौता ज्ञापन



Site Name	River	District
Basarnalo	Papum	Papumpare

पूर्वोत्तर अन्वेषण मंडल-III (एनईआईडी-III), के.ज.आ., ईटानगर को भारत सरकार की ओर से अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रीय जलविज्ञान परियोजना के तहत 45 आरटीडीएस आधारित एचओ साइटों को खोलने का काम सौंपा गया है। अनुबंध मैसर्स एएमपीएल, हैदराबाद को प्रदान किया गया और के.ज.आ, ईटानगर, और मैसर्स एएमपीएल, हैदराबाद द्वारा 06.11.2020 को के.ज.आ.(मुख्यालय), नई दिल्ली में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके अलावा, उपरोक्त



आयोग से डिजाइन पुनरीक्षण करने हेतु अनुरोध किया है। केंद्रीय जल आयोग ने मैसर्स एचपीपीसीएल द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है। अवधारणा डिजाइन अनुमानित दरकने की गति पर विचार करता है और इस लोड का ट्रांसफर बैराज संरचना द्वारा नींव एवं बाएँ अबटमेंट में व परियोजना के डिजाइन लाइफ के दौरान अवशेष बलों की अवशोषित करने हेतु दाहिने तट की तरफ संपीड़ित परत के प्रावधानों के साथ करता है।



में बाढ़ को रोकना भी है जब वर्षा सामान्य से अधिक होती है। बाढ़ से बचाव के लिए लगभग 400 वर्ग किमी क्षेत्र को संरक्षित किया जाना है। बैराज में छह लेन की सड़क भी होगी जो नदी के बाएँ और दाएँ किनारे को जोड़ेगी और सूरत और भरूच के दो बड़े औद्योगिक क्षेत्रों के बीच भगौलिक दूरी कम होगी। 22 किमी लम्बे तटबंध बनाए जाएंगे और नदी के दोनों ओर अपस्ट्रीम में भरूच की ओर विस्तार किया जाएगा।



Site Name	River	District
Dullungmukh	Subansiri	Lower Subansiri

परियोजना के लिए मुख्य अभियंता, बीबीओ, गुवाहाटी, और मुख्य अभियंता(पीएंडडी), डब्ल्यूआरडी, अरुणाचल प्रदेश सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। तदनुसार, जल संसाधन विभाग, अरुणाचल प्रदेश सरकार और मैसर्स एएमपीएल, हैदराबाद के अधिकारियों के साथ 20.01.2021 को साइट स्थानों को अंतिम रूप देने के लिए साइट का दौरा शुरू किया गया। दिनांक 01.02.2021 तक 45 स्थलों में से 21 स्थलों का दौरा पूरा कर लिया गया था।

## डेटा कॉर्नर- वर्तमान में के.ज.आ. में जल गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क

वर्तमान में, केंद्रीय जल आयोग जल गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क से संबंधित 552 जल गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों से एकत्र किए गए नदी के जल के नमूनों के विश्लेषण के लिए विश्लेषणात्मक सुविधाएं प्रदान करने और भारत के सभी प्रमुख नदी घाटियों को कवर करने के लिए एक तीन स्तरीय प्रयोगशाला प्रणाली का संचालन करता है। तीन स्तरीय प्रयोगशाला प्रणाली में निम्न शामिल हैं:

1. स्तर- I प्रयोगशालाएँ: ये फील्ड प्रयोगशालाएँ हैं जो भारत की विभिन्न नदियों पर क्षेत्र के जल गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों पर स्थित हैं जहाँ नदी के पानी के छह, पाँच भौतिक मापदंडों और एक रासायनिक पैरामीटर (घुलित ऑक्सीजन) के इन-सीटू मूल्यों की निगरानी की जाती है। भारत की विभिन्न नदियों पर क्षेत्र जल गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों पर कुल 295 स्तर- I प्रयोगशालाएँ स्थित हैं।

2. स्तर- II प्रयोगशालाएँ: नदी के जल के 25 भौतिक-रासायनिक और बैकटीरियोलॉजिकल मापदंडों का विश्लेषण करने के लिए मंडल कार्यालयों में 18 स्तर- II प्रयोगशालाएँ स्थित हैं।

3. स्तर- III प्रयोगशालाएँ: भारी धातुओं/विषाक्त पैरामीटरों और कीटनाशकों सहित 41 मानकों के विश्लेषण के लिए पांच क्षेत्रीय स्तर- III प्रयोगशालाएँ हैं।

4. राष्ट्रीय नदी जल गुणवत्ता प्रयोगशाला (NRWQL), नई दिल्ली: यमुना बेसिन संगठन के तहत नई दिल्ली में स्तर- III प्रयोगशाला "राष्ट्रीय नदी जल गुणवत्ता प्रयोगशाला (NRWQL), नई दिल्ली" के रूप में नामित राष्ट्रीय प्रयोगशाला है।

क्रम संख्या	प्रयोगशाला का स्थान	प्रयोगशाला का स्तर	संगठनात्मक क्षेत्राधिकार	एनएबीएल प्रमाणन
1	राष्ट्रीय नदी जल गुणवत्ता प्रयोगशाला(एनआरडब्ल्यूक्यूएल), नई दिल्ली	III	वाईबीओ, नई दिल्ली	हाँ
2	निचली कावेरी जल गुणवत्ता प्रयोगशाला (एलसीडब्ल्यूक्यूएल), कोयंबटूर	III	सीएंडएसआरओ, कोयंबटूर	हाँ
3	ऊपरी और मध्य गंगा जल गुणवत्ता प्रयोगशाला, वाराणसी	III	यूजीबीओ, लखनऊ	हाँ
4	कृष्णा और गोदावरी नदी जल गुणवत्ता, हैदराबाद	III	केएंडजीबीओ, हैदराबाद	हाँ
5	मध्य ब्रह्मपुत्र मंडल, गुवाहाटी	III	बीएंडबीबीओ, शिलांग	नहीं
6	ऊपरी कावेरी जल गुणवत्ता प्रयोगशाला, बैंगलुरू	II	सीएंडएसआरओ, कोयंबटूर	हाँ
7	दक्षिण पश्चिमी बहने वाली नदियों जल गुणवत्ता प्रयोगशाला (एसडब्ल्यूएफआरडब्ल्यूक्यूएल), कोच्चि	II	सीएंडएसआरओ, कोयंबटूर	हाँ
8	अपर कृष्णा डिवीजन जल गुणवत्ता प्रयोगशाला (यूकेडब्ल्यूक्यूएल), पुणे	II	केजीबीओ, हैदराबाद	हाँ
9	माही डिवीजन जल गुणवत्ता प्रयोगशाला (एमडीडब्ल्यूक्यूएल), गांधीनगर	II	एमटीबीओ, गांधीनगर	हाँ
10	निचली यमुना जल गुणवत्ता प्रयोगशाला (एलवाईडब्ल्यूक्यूएल), आगरा	II	वाईबीओ, नई दिल्ली	हाँ
11	पूर्वी नदियां जल गुणवत्ता प्रयोगशाला (ईआरडब्ल्यूक्यूएल), भुवनेश्वर	II	एमईआरओ, भुवनेश्वर	हाँ
12	जल विज्ञान मंडल, चेन्नई	II	सी एंड एसआरओ, कोयंबटूर	हाँ
13	वैनांगा मंडल, नागपुर	II	नागपुर	हाँ
14	मध्य गंगा मंडल- I, लखनऊ	II	यूजीबीओ, लखनऊ	हाँ
15	चिनाब मंडल, जम्मू	II	आईबीओ, चंडीगढ़	हाँ
16	निचली ब्रह्मपुत्र मंडल, जलपाईगुड़ी	II	टीएंडबीडीबीओ, कोलकाता	नहीं
17	यू.बी. डिवीजन (नाहरलागुन), डिब्रूगढ़	II	बीबीओ, शिलोंग	नहीं
18	निचली गंगा मंडल, बरहामपुर	II	एलजीबीओ, पटना	नहीं
19	निचली गंगा मंडल - II, पटना	II	एलजीबीओ, पटना	नहीं
20	महानदी मंडल, रायपुर	II	एमईआरओ, भुवनेश्वर	नहीं
21	नर्मदा मंडल, भोपाल	II	एनबीओ, भोपाल	नहीं
22	तापी मंडल, सूरत	II	एनटीबीओ, गांधीनगर	नहीं
23	हिमालयी गंगा मंडल, देहरादून	II	यूजीबीओ, लखनऊ	नहीं

## जलाशय निगरानी

केंद्रीय जल आयोग नियमित रूप से साप्ताहिक आधार पर देश के 128 जलाशयों की सक्रिय भंडारण स्थिति की निगरानी करता है और प्रत्येक गुरुवार को साप्ताहिक बुलेटिन जारी करता है।

इन 128 जलाशयों में से 44 जलाशयों में 60 मेगावाट से अधिक स्थापित क्षमता के साथ जलविद्युत लाभ है। इन 128 जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता 172.132 बीसीएम है जो देश में सृजित 257.812 बीसीएम की सक्रिय भंडारण क्षमता का लगभग 66.77% है। दिनांक 28.01.2021 को जारी जलाशय भंडारण बुलेटिन के अनुसार, इन जलाशयों में उपलब्ध संग्रहण 109.245 बीसीएम है जो इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 63% है। हालांकि पिछले वर्ष इस अवधि में इन जलाशयों में उपलब्ध सक्रिय भंडारण 120.964 बीसीएम था तथा पिछले 10 वर्षों का औसत 89.39 बीसीएम है। इस प्रकार दिनांक 28.01.2021 के बुलेटिन के अनुसार

## देवसारी एचईपी, उत्तराखण्ड के लिए कंक्रीट गुरुत्व बांध के विकल्प के रूप में बैराज की व्यवहार्यता

देवसारी एचईपी बांध के विकल्प के रूप में बैराज के सामान्य लेआउट और व्यवहार्यता पर चर्चा करने के लिए श्री एस. के. सिब्बल, मुख्य अभियंता, डिजाइन (एन एंड डब्ल्यू), के.ज.आ. की अध्यक्षता में एसजेवीएन लिमिटेड के अधिकारी के साथ 04.01.2021 को एक बैठक आयोजित की गई।


2012 में सीईए द्वारा देवसारी के लिए 252 मेगावाट का टीईसी दिया गया, लेकिन पर्यावरणीय प्रवाह में बदलाव के कारण, परियोजना की स्थापित क्षमता में 252 मेगावाट से 162 मेगावाट तक कमी की गई। अब, एसजेवीएनएल ने 162 मेगावाट से 172 मेगावाट तक स्थापित क्षमता के लिए प्रयास किया है और एचसीडी (एन एंड डब्ल्यू) की सिफारिशों पर, 22 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ डैम टो सहायक विद्युत गृह को प्रस्तावित किया गया है। नदी को 65 मीटर ऊंचे कंक्रीट गुरुत्व बांध के साथ मोड़ने का प्रस्ताव है, जिसकी गहराई नदी के तल के नीचे लगभग 30 मीटर ऊंचे बांध के

## पालेमुरा और पहनटोली सिंचाई योजना, झारखण्ड की डीपीआर

दिनांक 29.08.2017 को के.ज.आ. और जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार के बीच 31 सिंचाई योजनाओं के सर्वेक्षण व अन्वेषण और डीपीआर तैयार करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। 31 परियोजनाओं में से 20 परियोजनाओं को ब्रह्मपुत्र और बराक बेसिन संगठन (बी एंड बीबीओ), के.ज.आ., शिलांग को सौंपा गया है, जबकि 11 परियोजनाओं को यमुना बेसिन संगठन (वाईबीओ), के.ज.आ., नई दिल्ली के अंतर्गत योजना परिमंडल, के.ज.आ., फरीदाबाद को सौंपा गया। उक्त कार्य की स्वीकृत अनुमानित लागत का 10% दिसंबर, 2017 में जारी किया गया था। जून 2018 में सभी योजनाओं की पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) डब्ल्यूआरडी, झारखण्ड सरकार को प्रस्तुत की गई थी।

जनवरी, 2021 माह के दौरान यमुना बेसिन संगठन (वाईबीओ), के.ज.आ. के अंतर्गत योजना परिमंडल, के.ज.आ., फरीदाबाद ने पालेमुरा लघु सिंचाई योजना और पहनटोली लघु सिंचाई योजना के लिए डीपीआर पूरा किया।

पालेमुरा लघु सिंचाई योजना झारखण्ड के सिमडेगा जिले के बोलबा ब्लॉक में पालेमुरा गांव के पास डोंगाझोर नाला पर स्थित है। इसमें



सक्रिय भंडारण पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 128 जलाशयों में उपलब्ध भंडारण का 90% और पिछले 10 वर्षों के औसत भंडारण का 122% है।



लिए बहुत ज्यादा है। एक विकल्प के रूप में बैराज की व्यवहार्यता का अध्ययन एसजेवीएनएल द्वारा किया गया है जो व्यावहारिक और मितव्ययी है लेकिन बैराज डिजाइन के संबंध में किसी भी फील्ड डेटा के बिना।

22.01.2021 को एसजेवीएनएल के अधिकारियों और साइट भूवैज्ञानिक के साथ एक बैठक भी हुई। बैराज के डिजाइन के इनपुट के लिए परीक्षण करने का अनुरोध किया गया है।




2125 हेक्टेयर जीसीए और 1400 हेक्टेयर सीसीए है। परियोजना की वार्षिक सिंचाई 135% सिंचाई तीव्रता पर 1890 हेक्टेयर होगी। पालेमुरा सिंचाई योजना का लाभ लागत अनुपात 1.54 है।

पहनटोली लघु सिंचाई योजना झारखण्ड के सिमडेगा जिले के कोलेबिरा ब्लॉक में रांची सिमडेगा राष्ट्रीय राजमार्ग से लगभग 80 मीटर ऊपर पहनटोली गाँव के पास पश्चिम देव नाला पर स्थित है। इसमें 1000 हेक्टेयर जीसीए और 600 हेक्टेयर सीसीए है। परियोजना की वार्षिक सिंचाई 158% सिंचाई तीव्रता पर 948 हेक्टेयर होगी। परियोजना की कुल अनुमानित लागत लगभग रु. 57.31 करोड़ है। इस योजना से प्राप्त होने वाला वार्षिक लाभ रु. 7.13 करोड़ है। पहनटोली सिंचाई योजना का लाभ लागत अनुपात 1.24 है।

## ड्रिप

### ड्रिप चरण II और चरण III के अंतर्गत सीपीएमयू के लिए अभियांत्रिकी और प्रबंधन परामर्श (ईएमसी)

ड्रिप चरण II और चरण III के तहत सीपीएमयू हेतु ईएमसी की हायरिंग के आरएफपीके संबंध में एक पूर्व-प्रस्ताव सम्मेलन 05.01.2021 को वर्चुअल प्लेटफार्म पर आयोजित किया गया। बैठक के दौरान, प्रकाशित आरएफपी दस्तावेज के संबंध में विभिन्न प्रश्नों पर चयनित एजेंसियों पर स्पष्टीकरण दिया गया। बैठक में सीपीएमयू के अधिकारियों और चयनित एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने



भाग लिया।

### "इनफ्लॉ डिजाइन फ्लड के चयन और समायोजन के लिए दिशानिर्देश" के मसौदे के लिए समीक्षा समिति की बैठक

ड्रिप के तहत तैयार किए गए "इनफ्लॉ डिजाइन फ्लड के चयन और समायोजन के लिए दिशानिर्देश" के मसौदे की समीक्षा के लिए समिति की पहली बैठक 13.01.2021 को वर्चुअल प्लेटफार्म पर आयोजित की गई। प्रस्तावित दिशानिर्देशों की गुणवत्ता और व्यापकता में सुधार

के लिए विचार-विमर्श किया गया। बैठक में के.ज.आ, आईआईटी रुडकी, आईएमडी, एनआईएच रुडकी, कर्नाटक इंजीनियरिंग रिसर्च स्टेशन के प्रतिनिधियों से गठित समीक्षा समिति के सदस्यों और सीपीएमयू के अधिकारियों ने भाग लिया।

### सीपीएमयू और मेघालय पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमईपीजीसीएल) की संयुक्त बैठक

सीपीएमयू और एमईपीजीसीएल की एक संयुक्त बैठक 14.01.2021 को शिलांग में आयोजित की गई थी ताकि ड्रिप चरण II के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले विभिन्न लंबित प्रारंभिक गतिविधियों को पूरा किया जा सके। बैठक में श्री एम. शांगप्लियांग, निदेशक (उत्पादन), एमईपीजीसीएल के नेतृत्व में एमईपीजीसीएल के अधिकारियों ने तथा सीपीएमयू के प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया, जिसका नेतृत्व श्री गुलशन राज, मुख्य



अभियंता, सीडीएसओ और परियोजना निदेशक ड्रिप चरण II और चरण III, के.ज.आ. ने किया।

### प्रकाशित ईएपी के कार्यान्वयन के लिए हितधारक परामर्श बैठक

केरल राज्य विद्युत बोर्ड (केएसईबी) के 03 बांधों और तमिलनाडु डब्ल्यूआरडी के 13 बांधों के लिए प्रकाशित आपातकालीन कार्य योजनाओं का प्रसार करने के लिए हितधारक परामर्श कार्यक्रम कार्यान्वयन आवश्यकता के एक भाग के रूप में क्रमशः 21.01.2021 और 29.01.2021 को आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम सभी हितधारकों को संबंधित जोखिमों को संप्रेषित करने के लिए जोखिम न्यूनीकरण रणनीति का एक हिस्सा है। बैठक में

के.ज.आ., एनडीएमए, एसडीएमए, आईएमडी, एनआरएससी, जीएसआई, ऑल इंडिया रेडियो, जिला अधिकारियों और बांध के नीचे के गांवों के अधिकारियों ने भाग लिया। ड्रिप के अंतर्गत, 181 बांधों के लिए ईएपी (आपातकालीन कार्य योजना) प्रकाशित किए गए तथा बांधों और हितधारकों की परामर्श बैठक 75 बांधों के लिए आयोजित की गई।

### रैपिड वर्ल्ड बैंक मिशन

एक रैपिड वर्ल्ड बैंक मिशन 25.01.2021 को वर्चुअल प्लेटफार्म पर आयोजित किया गया जिसमें विश्व बैंक और सीपीएमयू के अधिकारियों ने भाग लिया था। बैठक के दौरान योजना समापन, परियोजना पूर्णता रिपोर्ट को अंतिम रूप देने और परिणाम ढांचे के लिए पूर्व-आवश्यकताओं पर विस्तृत चर्चा हुई।



### आसन बैराज, इचारी बांध व डाकपत्थर बैराज की चल रही पुनर्वास गतिविधियों का निरीक्षण

परियोजना निदेशक, डीआरआईपी के नेतृत्व में सीपीएमयू टीम ने ड्रिप के तहत चल रहे पुनर्वास कार्यों का निरीक्षण करने के लिए 27-28 जनवरी 2021 के दौरान इचारी बांध, आसन बैराज और डाकपत्थर बैराज का दौरा किया। 29.01.2021 को यूजेवीएनएल के साथ देहरादून में नए ड्रिप चरण II में शामिल होने की तैयारी के

संबंध में एक समीक्षा बैठक भी की गई। बैठक में श्री संदीप सिंघल, प्रबंध निदेशक, यूजेवीएनएल के नेतृत्व में यूजेवीएनएल प्रतिनिधिमंडल और श्री. गुलशन राज, मुख्य अभियंता, सीडीएसओ और परियोजना निदेशक ड्रिप चरण II और चरण III, के.ज.आ. के प्रतिनिधित्व में सीपीएमयू प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया।

### बांध सुरक्षा समीक्षा पैनल (डीएसआरपी) का मणिपुर के सेकमाई बैराज और खुगा बांध दौरा

मणिपुर डब्ल्यूआरडी के सेकमाई बैराज और खुगा बांध का निरीक्षण दौरा डीएसआरपी द्वारा 27 से 30 जनवरी 2021 के दौरान किया गया। डीएसआरपी की सिफारिश किसी दिए गए बांध हेतु व्यापक पुनर्वास प्रस्ताव तैयार करने की पूर्व-आवश्यकता है। पैनल के सदस्य श्री हरकेश कुमार, निदेशक, गेट्स (एनडब्ल्यू एंड एस), श्री विवेक त्रिपाठी, निदेशक, सीएमडीडी (ई एंड एनई), श्री एस. के. शुक्ला, निदेशक, डीएसएम और श्री अजीत कटारिया, उप निदेशक,



डीएसआर थे। निरीक्षण यात्रा के दौरान पैनल के साथ मणिपुर डब्ल्यूआरडी के अधिकारी भी उपस्थित थे।

## भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कृषि कार्य समूह - सुवर्णरिखा सिंचाई परियोजना का दौरा


कृषि पर भारत-ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्य समूह (जेडबल्यूजी) की 5वीं बैठक 03.12.2020 को आयोजित हुई जिसमें पायलट परियोजना के लिए विशेष परियोजना क्षेत्र, कार्यप्रणाली और उपयुक्त तकनीक को अंतिम रूप देने के लिए ऑस्ट्रेलियाई पक्ष द्वारा सुवर्णरिखा सिंचाई परियोजना के दौरे का एजेंडा आइटम शामिल था। इसका उद्देश्य क्षेत्र में सिंचाई जल उपयोग दक्षता में सुधार करने के तरीकों की जांच करना है जिससे कृषि उत्पादन में अधिक दक्षता हो सकती है और अन्य क्षेत्रों में पानी की कमी दूर हो सकती है।

तदनुसार, जैसा कि दोनों पक्षों द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी, श्री पी. दोर्जे ग्याम्बा, मुख्य अभियंता (पीओएमआईओ), के.ज.आ. द्वारा 13.01.2021 को सुवर्णरिखा सिंचाई परियोजना (ओडिशा) के लिए भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई पक्ष की एक वर्चुअल दौरे की व्यवस्था की गई। ओडिशा के मयूरभंज जिले में परियोजना के किंचकेश्वरी पानीपंचायत में स्थित लगभग 560 हेक्टेयर के कमांड क्षेत्र को ऑस्ट्रेलियाई प्रतिभागियों को दिखाया गया ताकि यह सूचित किया जा सके कि क्या सुधार और/या आधुनिकीकरण किया जा सकता है। डॉ किंगहोंग पु, ए/जी निदेशक, शहरी जल और अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता, जल प्रभाग ऑस्ट्रेलिया से, मुख्य अभियंता (पीओएमआईओ), के.ज.आ. और भारतीय प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्यों ने परियोजना क्षेत्र की वर्चुअल यात्रा में भाग लिया।

श्री पी. दोर्जे ग्याम्बा, मुख्य अभियंता (पोमियो), के.ज.आ. ने सुवर्णरिखा सिंचाई परियोजना पर एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी, जो भारत के तीन अलग-अलग राज्यों (ओडिशा, झारखण्ड और पश्चिम बंगाल) के बीच एक अंतर-राज्यीय परियोजना है और किंचकेश्वरी पानीपंचायत के तहत लगभग 560 हेक्टेयर में प्रस्तावित कमांड क्षेत्र जिसमें सिंचाई के बुनियादी ढांचे, वर्तमान सिंचाई प्रथाओं, जल उपयोग दक्षता और कृषि उपज को कमान में दिखाया गया है। किंचकेश्वरी पानीपंचायत कमांड क्षेत्र पर एक वीडियो फ़ाइल ऑस्ट्रेलियाई पक्ष को दिखाई गई। श्री प्रवत रंजन राउत, मुख्य अभियंता, सुवर्णरिखा सिंचाई परियोजना, ओडिशा सरकार और उनके अधिकारियों ने बांध, हेड वर्क्स, तीन आउटलेट पॉइंट्स और कमांड एरिया का वास्तविक समय का दृश्य दिखाया।

डॉ किंगहोंग पु ने ऑस्ट्रेलिया के ग्रामीण जल उपयोग और बुनियादी ढांचा कार्यक्रम (एसआरडब्ल्यूआईपी) और जल दक्षता कार्यक्रम, मरे-डार्लिंग बेसिन में ऑन-फार्म और ऑफ-फार्म सिंचाई दक्षता कार्यक्रम, जिसने कई लाभ उत्पन्न किए, की रूपरेखा पर प्रस्तुति दी। डॉ. पु ने कहा कि इन जल उपयोग दक्षता प्रौद्योगिकियों को भारतीय संदर्भ में लागू करने की क्षमता है।

डॉ पु ने जोर देकर कहा कि ऑस्ट्रेलिया सिंचाई दक्षता को समग्र रूप से देखता है जिसमें पूंजी/अवसंरचना निवेश और प्रबंधन नीतियों (जैसे जल आवंटन, जल योजना, जल मूल्य निर्धारण और व्यापार, पानी की जानकारी) शामिल हैं। डॉ पु ने कहा कि एडब्ल्यूपी ज्ञान उत्पाद 'सिंचित कृषि' में जल उपयोग दक्षता - एक ऑस्ट्रेलियाई परिप्रेक्ष्य' ऑस्ट्रेलिया की अवधारणाओं और प्रथाओं पर 111 सिंचाई (<https://waterpartnership.org.au/wp-content/uploads/2020/05/Water-Use-Efficiency-in-Irrigated-Agriculture-web.pdf>)



दक्षता पर विस्तार से बताता है।

प्रस्तुतियों और कमान क्षेत्र के वर्चुअल दौरे के बाद, एक संयुक्त चर्चा शुरू हुई जिसमें निम्नलिखित बिंदु शामिल थे:

- भारतीय पक्ष कमान क्षेत्र के समग्र सुधार की ओर देख रहा है जिसके परिणामस्वरूप फसल उत्पादन में 4 गुना तक की वृद्धि हो सकती है। इसमें संस्थागत विकास और अन्य संचालन और प्रबंधन आधुनिकीकरण सहित ऑन-फार्म और ऑफ फार्म सुधार शामिल होंगे।
- ऑस्ट्रेलियाई पक्ष इस हस्तक्षेप के अंतर्गत प्रदेय और विशेष परियोजना क्षेत्र, कार्यप्रणाली, उपयुक्त प्रौद्योगिकी, साथ ही संस्थागत और शासन व्यवस्था और क्षमता विकास में सुधार की संभावना की पहचान करने के लिए एक व्यापक अध्ययन करेगा।
- व्यापक अध्ययन करने के लिए वित्त पोषण के पहलुओं और ऑस्ट्रेलियाई पक्ष द्वारा उठाए गए सूचित हस्तक्षेपों के आगे कार्यान्वयनके संबंध में यह सहमति हुई कि ऑस्ट्रेलिया तकनीकी सहयोग और प्रदेयों की जानकारी प्रदान करेगा जो की भारत और ऑस्ट्रेलिया पक्षों के बीच वित्त पोषण, कृषि पर जेडब्ल्यूजी की अगली बैठक में प्रगति दर्शने की इच्छा पर आगे की चर्चा के लिए परियोजना को पेश करेगा।
- भारतीय पक्ष ने आश्वासन दिया कि ऑस्ट्रेलियाई पक्ष द्वारा अध्ययन करने के लिए आवश्यक आंकड़ों के संबंध में सभी सहायता प्रदान की जाएगी।

## प्रशिक्षण

माननीय जल शक्ति मंत्री के निदेशों के फॉलोअप के रूप में, एनडब्ल्यूए द्वारा सिंचाई प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान, त्रिची, तमिलनाडु के साथ तमिलनाडु राज्य के लिए जल संरक्षण एवं प्रबंधन पर जन जागरूकता कार्यक्रम का संचालन किया गया। पहले चरण में स्थानीय भाषा (तमिल) में आईएमटीआई के साथ संयुक्त रूप से निम्नलिखित स्थानों पर चार प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अन्य राज्यों में कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और समय पर इसका संचालन किया जाएगा।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल विषयों में "भारत और तमिलनाडु में जल संसाधनों का अवलोकन, क्षेत्र / जिला स्तर के जल से संबंधित मुद्दे", "घरेलू और कृषि क्षेत्रों में जल संरक्षण और प्रबंधन प्रथाएं" आदि शामिल हैं। एनडब्ल्यूए, आईएमटीआई, डब्ल्यूआरओ, कृषि विभाग के अधिकारियों ने व्याख्यान दिया। श्री आर. थंगमणि, निदेशक, एनडब्ल्यूए ने 30.12.2020 को त्रिची में प्रशिक्षण में भाग लिया और स्थानीय भाषा (तमिल) में "भारत में जल संसाधनों का अवलोकन" पर एक व्याख्यान दिया। प्रशिक्षण के दौरान, सभी प्रशिक्षुओं को स्थानीय भाषा (तमिल) में "जल संरक्षण और प्रबंधन" पर एक पुस्तिका भी जारी की गई।

## बांध सुरक्षा एवं इंस्ट्रूमेंटेशन

जल संसाधन परियोजनाओं के विभिन्न तकनीकी पहलुओं पर केंद्रीय जल आयोग के अधिकारियों के बीच उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक परिचर्चा आयोजित करने हेतु डॉ आर.के. गुप्ता, सदस्य (अभिकल्प एवं अनुसंधान) केंद्रीय जल आयोग के सुझाव अनुसार व्याख्यानों/प्रेजेंटेशन की एक श्रंखला की शुरुआत की गई है।


तदनुरूप 11.01.2021 को श्री ओपी गुप्ता, निदेशक, इंस्ट्रूमेंटेशन निदेशालय, केंद्रीय जल आयोग द्वारा बांध सुरक्षा एवं इंस्ट्रूमेंटेशन पर एक प्रेजेंटेशन दिया गया। इस प्रेजेंटेशन में केंद्रीय जल आयोग के अधिकारियों ने भाग लिया। इस प्रेजेंटेशन में बांध सुरक्षा में इंस्ट्रूमेंटेशन का उद्देश्य एवं आवश्यकता, इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम प्लानिंग, नए कंक्रीट बांध एवं तटबंध में वांछित इंस्ट्रूमेंटेशन रेखांकित किया गया। इसके अतिरिक्त वर्तमान बांधों में इंस्ट्रूमेंटेशन के स्कोप पर भी चर्चा की गई। आवश्यक डाटा संग्रह का महत्व, डाटा संग्रह की विधि और उसका

क्रम संख्या	तमिलनाडु में जिलों के नाम	प्रशिक्षण की तिथि	प्रतिभागियों की संख्या
1	त्रिची	30-12-2020	63
2	करूर	05-01-2021	94
3	कृष्णागिरी	08-01-2021	68
4	तिरुवरूर	18-01-2021	48



### Dam-seismic instrumentation

Depends upon height of dam ( As per IS : 4967-1968)



प्रसंस्करण एवं अर्थपूर्ण व्याख्या पर समय अनुरूप उपचार उपाय (यदि कोई) हेतु जोर दिया गया।

## दिनांक 31.01.2021 तक योजनाओं/घटकों की वित्तीय प्रगति

(राशि करोड़ में)

क्रमांक	योजना/घटक का नाम	संशोधित अनुमान (2020-21)	व्यय	व्यय (%में)
1.	जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास (डीडब्ल्यूआरआईएस)	130.00	95.757	73.66%
2.	जल संसाधन विकास योजनाओं की जांच (आईडब्ल्यूआरडी)	9.000	7.038	78.20%
3.	बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी)	10.576	7.869	74.40%
4.	बुनियादी ढांचा विकास (आईडी) योजनाएं	5.750	5.553	96.57%
5.	राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना	8.886	7.239	81.47%
6.	बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना	21.000	16.200	77.14%

## इतिहास-परम्बिकुलम-अलियार परियोजना

तमिलनाडु राज्य में सिंचाई दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व से जारी है, जब राजा करिकाला चोल ने तंजौर जिले में सिंचाई के लिए कावेरी पर ग्रैंड एनीकट नामक एक बांध का निर्माण किया था जो कि कठोर पत्थरों को मिट्टी से जोड़कर तैयार किया गया था। कुछ जिलों में नहरों की खुदाई भी की गई और धान की खेती को प्रोत्साहित किया गया।

ब्रिटिश शासन के आगमन के बाद, कई नए सिंचाई कार्यों के निर्माण और पुराने सिंचाई कार्यों में सुधार करके सिंचाई को दृढ़ता से स्थापित किया गया था। लगभग सभी उपलब्ध जल संसाधनों का उपयोग किया गया। स्वतंत्रता के बाद केंद्र सरकार द्वारा दिए गए प्रोत्साहन के साथ ही प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान छोटे अवशिष्ट संसाधनों का भी दोहन किया गया। इस प्रकार सिंचाई के संबंध में राज्य अपनी हद पर आ गया था।

### परियोजना

परम्बिकुलम-अलियार परियोजना का नाम दो प्रमुख नदियों, अनामलाई पहाड़ियों के पश्चिमी ढलानों पर स्थित परम्बिकुलम और पूर्वी ओर स्थित अलियार से लिया गया है।


इस बहुउद्देशीय, परियोजना में नदियों और सहायक नदियों के दोहन से सात जलाशयों के सोपान की परिकल्पना की गई थी। एक वियर, 19 किमी लंबी सुरंग, 48 किमी लाइन्ड मुख्य नहर इसकी अन्य प्रमुख विशेषताएं हैं। इस परियोजना की अनुमानित लागत ₹. 35.08 करोड़ (शुरुआत में) थी जो कि 180 मेगावाट क्षमता के बिजली स्टेशनों को स्थापित करने के अलावा 97125 हेक्टेयर सिंचाई के लिए डिज़ाइन किया गया था।

### केरल के साथ समझौता

तमिलनाडु और केरल की उभयनिष्ठ नदियों के पानी का लाभ उठाने के लिए स्वाभाविक रूप से केरल राज्य की सहमति की आवश्यकता थी। एक और पहलू जो अवरोध उत्पन्न करता है, वह जलाशयों का स्थान और इनमें से कुछ नदियों के दोहन के डायवर्जन कार्य था। परम्बिकुलम और अलियार घाटियों के पानी की मात्रा के बारे में दोनों सरकारों के बीच एक समझौता हुआ, जिसे तत्कालीन मद्रास राज्य में उपयोग के लिए मोड़ दिया गया और दोनों राज्यों के पारस्परिक लाभ को देखते हुए जुलाई 1960 में मोड़ने के तरीके पर सहमति हुई थी।

### निर्माण

निर्माण कार्यक्रम में परियोजना की पहली मद निरार बांध था। इस बांध का उद्देश्य 45 क्यूमेक डिस्चार्ज क्षमता वाली 4420 मीटर लंबी सुरंग के माध्यम से निरार नदी के प्रवाह को निकटवर्ती शोलयार बेसिन में मोड़ना था।



PARAMBIKULAM ALIYAR PROJECT PROFILE

### परम्बिकुलम -अलियार परियोजना

विशेषताएं एक विण्ठि में

स्थान	केरल और तमिलनाडु राज्यों में परम्बिकुलम और अलियार नदी घाटियों में भंडारण, बिजली घरों और सिंचाई नहरों की परस्पर जुड़ी प्रणाली।			
बाँध	आठ			
	प्रकार	ऊंचाई (मी.)	लंबाई (मी.)	भंडारण (मिलियन घन मी.)
निरार	चिनाई	9	164	0.31
शोलयार	चिनाई-सह-मृदा	97	1417	188
परम्बिकुलम	-- यथा --	62	351	473
तुनाकादावु	-- यथा --	12	335	16
पैरस्वपरिप्लम	पृथ्वी	--	945	19
टेकडी	चिनाई-सह-मृदा	--	676	36
अलियार	-- यथा --	22	3063	109
थिरुमूर्ति	-- यथा --	23	2757	52
पावर हाउस	पांच			
	स्थापित क्षमता (मेगावाट)			
	प्रस्तावित			
शोलयार I		70		
शोलयार II		20		
सिरकारपाठी		40		
अलियार I		40		
अलियार II		10		
कुल स्थापित क्षमता		180		
सिंचाई नहरें		211 किमी		
सिंचाई क्षमता	ड्राइ	77700 हेक्टेयर		
	वेट	19425 हेक्टेयर		

शोलयार नदी पर शोलयार जलाशय का प्रस्ताव केरल की आवश्यकताओं से अधिक अधिशेष के भंडारण के साथ-साथ निरार से बहने वाले प्रवाह के लिए किया गया था। नदी से पानी को परम्बिकुलम के निकटवर्ती बेसिन में 21 घन मीटर प्रति सेकंड की निस्सरण क्षमतावाली 3048 मीटर लंबी लाइन्ड सुरंग के माध्यम से मोड़ दिया गया। सुरंग के अंत में उपलब्ध लगभग 396 मीटर जल प्रपात का उपयोग 35 मेगावाट क्षमता की दो इकाइयों के साथ बिजली उत्पन्न करने में किया गया।

प्रणाली की अगली संरचना परम्बिकुलम नदी पर एक और ऊंचा बांध

था। यह परियोजना का सबसे बड़ा जलाशय था। इसका पानी 40 घन मीटर प्रति सेकंड का निस्सरण क्षमता वाली 2286 मीटर लंबी सुरंग के माध्यम से निकटवर्ती तनाकादावु नदी में भेजा गया था।

तुनाकादावु जलाशय केवल एक संतुलित जलाशय था और इसका निर्माण मुख्य रूप से पहाड़ियों में महंगी सुरंग की लंबाई को कम करने के लिए किया गया था। इसका पानी एक सुरंग द्वारा अन्नामलाई पहाड़ियों के पूर्व की ओर मोड़ दिया गया था। दक्षिण में परम्बिकुलम भंडारण से पानी का दोहन करने के अलावा, इसका उद्देश्य उत्तर-पश्चिम में छोटी सहायक नदियों, यथा पेरूवरिपल्लम और टेकडी पर दो जलाशयों से पानी प्राप्त करना भी था।

तुनाकादावु जलाशय के उत्तर-पश्चिम में पहला जलाशय पेरूवरिपल्लम पर एक बांध द्वारा बनाया गया था। टेकडीयार जलाशय एक अन्य जलाशय था जो एक छोटी सुरंग के माध्यम से

## खंडोंग पावर स्टेशन, नीपको, असम का नवीनीकरण और जीवन विस्तार

खंडोंग पावर स्टेशन के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के लिए डीपीआर दिसंबर, 2020 में डिजाइन (एनडब्ल्यू एंड एस) में प्राप्त किया गया था। के.ज.आ. ने नीपको को बताया है कि मूल डिजाइन डिस्चार्ज 85.5 क्यूमेक में अधिक वृद्धि को एक अच्छा प्रस्ताव नहीं माना जा सकता है क्योंकि कंक्रीट लाइन वाली सुरंग में उच्च प्रवाह वेग के परिणामस्वरूप कंक्रीट के काल प्रभावन, अस्लीय वातावरण और पूर्व में सूचित कंक्रीट नुकसान के कारण लाइनिंग को त्वरित नुकसान

### जल क्षेत्र समाचार

- ❖ जल जीवन मिशन : 2020 में लगाए 3 करोड़ नल कनेक्शन (राष्ट्रीय सहारा, 02.01.2021)
- ❖ गति पकड़ेंगी जलाशयों व जल संग्रहण के विकास की योजनाएं (दैनिक जागरण, 07.01.2021)
- ❖ लद्दाख में सिंधु नदी पर 8 परियोजनाओं को मंजूरी (हरिभूमि, 09.01.2021)
- ❖ देश में लागू होगी स्मार्ट जलापूर्ति एवं निगरानी प्रणाली (हरिभूमि, 14.01.2021)
- ❖ जल संवर्धन की परियोजनाओं को जल्द करें पूरा : जैन (हरिभूमि, 16.01.2021)
- ❖ गंगा की तरह चंबल में भी अठखेलियां करने लगी हैं डाल्फिन, बढ़ रहा है कुनबा (राजस्थान पत्रिका, 17.01.2021)
- ❖ पुनर्जीवित करनी होगी भारतीय जल संस्कृति (राजस्थान पत्रिका, 19.01.2021)

### गैलरी



पेरूवरिपल्लम जलाशय तक जाता था। परम्बिकुलम, तुनाकादावु, पेरूवरिपल्लम और टेकडीयार जलाशय केरल राज्य में स्थित हैं।

सिरकरपति सुरंग तुनाकादावु जलाशय के पानी को अन्नामलाई पहाड़ियों के पूर्वी ढलान की ओर मोड़ती है। यह 3962 मीटर लम्बी एक लाइन सुरंग थी। सुरंग की निकासी पर 30 मेगावाट बिजली पैदा करने की एक इकाई के लिए लगभग 91 मीटर जल प्रपात का उपयोग किया गया था।

परम्बिकुलम-आलियार परियोजना दो पड़ोसी राज्यों के सहयोग का प्रतीक है जिसमें एक राज्य के अतिरिक्त पानी को दूसरे राज्य की सूखी भूमि की सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। यह तमिलनाडु में सूखा प्रवण क्षेत्रों को लाभ पहुँचाने हेतु पश्चिम प्रवाह वाली आठ नदियों जिसमें अनामलाई पहाड़ियों में छह और मैदानी इलाकों में दो नदियों के डायर्वर्जन और एकीकरण को सफलतापूर्वक पूरा करता है।

हो सकता है। यदि आवश्यक हो, तो डब्ल्यूसीएस की संरचनात्मक सुदृढ़ता का आकलन तथा उचित सुधार के लिए व्यापक जांच की जाए और इसकी दीर्घकालिक सुरक्षा और सेवाक्षमता सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त सुधार की भी सलाह दी गई। जनवरी, 2021 में डीपीआर में ड्राइंग की अनुपयुक्तता, सर्ज स्थितियों के लिए सर्ज शाप्ट के डिजाइन और विसंगतियों के संबंध में के.ज.आ. के विचारों से भी अवगत कराया गया है।

- ❖ स्वच्छ जल नागरिकों का मौलिक अधिकार (राष्ट्रीय सहारा, 20.01.2021)
- ❖ ब्रह्मपुत्र पर बांध का भारत ने किया विरोध (नवभारत टाईम्स, 21.01.2021)
- ❖ भारत समेत अन्य देशों को पुराने बांध से खतरा : यूएन (हिन्दुस्तान, 24.01.2021)
- ❖ नदियों के जल की गुणवत्ता रिपोर्ट मांगी (हिन्दुस्तान, 24.01.2021)
- ❖ जल जीवन मिशन की रफ्तार एक वर्ष में हुई दोगुनी (राष्ट्रीय सहारा, 25.01.2021)
- ❖ एनजीटी ने दिल्ली सरकार से वर्षा जल संचय को जलापूर्ति से जोड़ने का तंत्र विकसित करने को कहा (पंजाब केसरी, 28.01.2021)
- ❖ 'नमामी गंगे अभियान' बिजनौर से बलिया तक 1038 घाटों पर रोज होगी गंगा आरती (राजस्थान पत्रिका, 31.01.2021)





## गणतंत्र दिवस समारोह



### केंद्रीय जल आयोग

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग,  
जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार का एक सम्बद्ध  
कार्यालय

### संपादक मंडल

- श्री समीर चट्टी, मुख्य अभियंता (मा.सं.प्र.) - मुख्य संपादक
- श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह, मुख्य अभियंता(ईएमओ) - सदस्य
- श्री योगेश पैथकर, मुख्य अभियंता(पीएमओ) - सदस्य
- श्री दीपक कुमार, निदेशक(नदी प्रबंध समन्वय) - सदस्य
- श्री एस.के. राजन, निदेशक(टीसी) - सदस्य

### अभिकल्प एवं प्रकाशन

जल प्रणाली अभियांत्रिकी निदेशालय  
केंद्रीय जल आयोग

- श्री भूषिन्द्र सिंह, निदेशक(डब्ल्यूपीएंडपी—सी)- सदस्य
- श्री के.वी. प्रसाद, निदेशक(जल प्रणाली अभि.) - सदस्य
- श्री अर्जेश कुमार मधोक, उप निदेशक(ज.प्र.अभि.) - सदस्य
- श्री आर.के. शर्मा, उप निदेशक(डीएण्डआर सम.) - सदस्य
- श्री शिव सुन्दर सिंह, उप निदेशक(ज.प्र.अभि.) - सदस्य सचिव

द्वितीय तल (दक्षिण) सेवा भवन, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली-110 066  
ई-मेल: media-cwc@gov.in